



છત્તીસગઢ લોક સેવા આયોગ

નાર્થ બ્લોક, સેક્ટર-19, નવા રાયપુર અલ્લ નગર (છ.ગ.)

વિજ્ઞાપન ક્રમાંક 21/2022/પરીક્ષા/દિનાંક 20/05/2022

પ્રકાશન કી તિથિ 25/05/2022

દિનાંક 20/05/2022

દિનાંક 23/06/2022

પશુ ચિકિત્સા સહાયક શલ્યજ્ઞ (પશુધન વિકાસ વિભાગ) કે પદ પર સીધી ભર્તી

ઑનલાઇન આવેદન કરને કી તિથિ 25/05/2022 મધ્યાન્હ 12:00 બજે સે દિનાંક 23/06/2022 રાત્રિ 11:59 બજે તક

મહત્વપૂર્ણ

- વિજ્ઞાપિત પદ હેતુ આવેદન કેવળ ઑનલાઇન હી સ્વીકાર કિએ જાએંને। કિસી ભી પ્રકાર કે મૈનુઅલ અથવા ડાક દ્વારા ભેજે ગએ આવેદન પત્ર આયોગ દ્વારા સ્વીકાર નહીં કિએ જાએંને।
- પરીક્ષા કે લિએ આવેદન કરને વાલે અભ્યર્થીઓનો કો આવેદન કરને કે પૂર્વ સ્વયં સુનિશ્ચિત કરના ચાહેર કી વે પરીક્ષા મેં પ્રવેશ હેતુ સમી પાત્રતા શર્તોનો પૂરા કરતે હોય। સમી પાત્રતા શર્તોનો પૂરા કરને વાલે અભ્યર્થીઓનો હોતું આવેદન કરના ચાહેર કી પરીક્ષા સમેત પ્રવેશ-પૂર્ણ: અનંતિમ હોંગા ચાહે વે નિર્ધારિત પાત્રતા શર્તોનો પૂરા કરતે હોય। અભ્યર્થીનો પ્રવેશ-પત્ર જારી કિએ જાણે કો અર્થ યાં નહીં હોંગા કી ઉસકી અભ્યર્થીતા આયોગ દ્વારા અંતિમ રૂપ સે સ્વીકાર કર લી ગઈ હૈ। પરીક્ષા/સાક્ષાત્કાર હેતુ અભ્યર્થીનો ચિહ્નાંકન કે વાદ હી આયોગ પાત્રતા શર્તોની જોંચ કરતા હૈ।
- ઉપરોક્ત પરીક્ષા કે લિએ અભ્યર્થી દ્વારા પરીક્ષા શુલ્ક વ પોર્ટલ શુલ્ક કા ભુગતાન ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ/ઇન્ટરનેટ બૈંકિંગ/કેશ ડિપોઝિટ કે માધ્યમ સે કિયા જા સકતા હૈ। પરીક્ષા શુલ્ક કે ભુગતાન કે લિએ કિસી બૈંક કે ડ્રાપટ અથવા થૈક સ્વીકાર નહીં કિયે જાએંને।
- ઉપરોક્ત પરીક્ષા કે લિએ ઑનલાઇન આવેદન દિનાંક 25/05/2022 કો મધ્યાન્હ 12:00 બજે સે 23/06/2022 રાત્રિ 11:59 બજે તક www.psc.cg.gov.in પર કિએ જા સકેંનો।
- ઑનલાઇન આવેદન મેં ત્રુટિ સુધાર કા કાર્ય આવેદન કરને કી અંતિમ તિથિ કે વાદ દિનાંક 24/06/2022 અપરાન્હ 12:00 બજે સે 28/06/2022 રાત્રિ 11:59 બજે તક કિયા જા સકેંનો। ઉક્ત ત્રુટિ સુધાર કા કાર્ય કેવળ એક બાર ઑનલાઇન હી કિયા જા સકેંનો।
- ઑનલાઇન આવેદન મેં સશુલ્ક ત્રુટિસુધાર કા કાર્ય ત્રુટિસુધાર કરને કી અંતિમ તિથિ કે વાદ દિનાંક 29/06/2022 કો મધ્યાન્હ 12:00 બજે સે 03/07/2022 રાત્રિ 11:59 બજે તક કિયા જા સકેંનો। ઉક્ત સશુલ્ક ત્રુટિ સુધાર હેતુ રૂ.100/- (રૂપયે એક સૌ) શુલ્ક લિયા જાએંનો। ઉક્ત સશુલ્ક ત્રુટિ સુધાર કા કાર્ય કેવળ એક બાર ઑનલાઇન હી કિયા જા સકેંનો।
- શ્રેણી સુધાર કે મામલોનો મેં યથિ કિસી અભ્યર્થી દ્વારા આરક્ષિત વર્ગ કે રૂપ મેં ભરે ગયે અપને ઑનલાઇન આવેદન પત્ર મેં સુધાર કર ઉસે અનારક્ષિત વર્ગ કિયા જાતા હૈ તો ઉસે શુલ્ક કે અંતર કી રાશિ કે ભુગતાન ત્રુટિ સુધાર શુલ્ક કે અંતરિક્ત કરના હોંગા કિન્તુ અનારક્ષિત વર્ગ કે રૂપ મેં ભરે ગયે અનુલાઇન આવેદન પત્ર કો આરક્ષિત વર્ગ મેં પરિવર્તન કી રિથિત મેં શુલ્ક અંતર કી રાશિ વાપસ નહીં કી જાએની।

(1) ભારતીય નાગરિક ઔર ભારત શાસન દ્વારા માન્ય શ્રેણીઓનો કે અભ્યર્થીઓનો સે છત્તીસગઢ શાસન કે પશુધન વિકાસ વિભાગ કે અંતર્ગત પશુ ચિકિત્સા સહાયક શલ્યજ્ઞ કે રિક્ત પદોનો કે પૂર્તિ હેતુ ઑનલાઇન આવેદન પત્ર આમંત્રિત કિયે જાતે હોય। પદોનો કા વિવરણ નીચે કી તાલિકા મેં દર્શિત હૈ:-

સ. ક્ર.	પદ તથા વિભાગ કા નામ	કુલ રિકિત્યોનો કે વર્ગવાર સંખ્યા				કુલ રિકિત્યોનો કે વર્ગવાર સંખ્યા મેં સે કેવળ છત્તીસગઢ કે સ્થાનીય નિવાસી મહિલાઓનો કે લિએ આરક્ષિત				કુલ રિકિત્યોનો મેં સે નિઃશક્તજનોનો કે લિએ આરક્ષિત પદ	યોગ	વેતનમાન
		અના.	અ.જા.	અ.જ.જા.	અ.પિ.વ.	અના.	અ.જા.	અ.જ.જા.	અ.પિ.વ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	પશુ ચિકિત્સા સહાયક શલ્યજ્ઞ ਬૈકલોંગ	-	10	43	1	-	-	-	-	-	54	રૂ. 56100 લેવલ-12
	પશુ ચિકિત્સા સહાયક શલ્યજ્ઞ નિઃશક્તજન બૈકલોંગ/કેરિકાવર્ડ	17	1	1	1	-	-	-	-	17 (OL/HH) UR 1 (OL/HH) SC 1 (OL/HH) ST 1 (OL/HH) OBC	20	
કુલ પદ :—											74	

Abbreviation Used: HH =Hearing Handicapped, OL=One Leg

મહત્વપૂર્ણ ટીપ :-

- પદોનો કા સંખ્યા પરિવર્તિત હો સકતી હૈ।
- યથ વિજ્ઞાપન સંબંધિત વિભાગ કે માંગપત્ર કે અનુરૂપ પ્રકાશિત કિયા જા રહા હૈ।
- ઉપરોક્ત વિજ્ઞાપિત પદોનો કે લિએ કિયા જાને વાલો ચયન માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલય, બિલાસપુર મેં દાયર યાચિકાઓનો (ક્રમાંક 591/2012, રિટ પિટીશન (સી) ક્રમાંક 592/2012, રિટ પિટીશન (સી) ક્રમાંક 593/2012 તથા રિટ પિટીશન (સી) ક્રમાંક 594/2012) મેં પારિત હોને વાલે અંતિમ આદેશ/નિર્ણય કે અધ્યાધીન રહેગી એવ માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલય કે અંતિમ આદેશ/નિર્ણય કે અનુસાર વિજ્ઞાપિત કિયે ગયે પદોનો કે વર્ગવાર રિકિત્યોનો કે સંખ્યા મેં પરિવર્તન ભી હો સકતા હૈ।
- છત્તીસગઢ રાજ્ય કે સ્થાનીય / મૂલ નિવાસી નિઃશક્તજન (OL,HH) હી માન્ય

હોંગે।

ટીપ :- સમરત સ્વીકાર્ય દિવ્યાંગતા કે પ્રકાર યુક્ત અર્હ અભ્યર્થી વાંચિત સંખ્યા મેં ન મિલને પર બનને વાલે રિકિત્યોનો કે સંબંધિત મુજબ વર્ગ કે અભ્યર્થી સે પૂરા કરી જાવેગા।

5. રિકિત્યોનો મેં આરક્ષણ :-

- ઉપરોક્ત તાલિકા કે કાલમ નં. 4, 5, 6 મેં દર્શિત પદ કેવળ છત્તીસગઢ કે લિએ અધિસૂચિત રાજ્ય કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જન જાતિ એવ અન્ય પિછડા વર્ગ કે અભ્યર્થીઓનો કે લિએ આરક્ષણ હૈનું।
- છત્તીસગઢ રાજ્ય કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ એવ અન્ય પિછડા વર્ગ (ગૈર ક્રીમીલેયર) શ્રેણી કે અંતિરિક્ત અન્ય સમી (છત્તીસગઢ રાજ્ય કે અનારક્ષિત એવ છત્તીસગઢ રાજ્ય કે

- अतिरिक्त अन्य राज्य के अस्थर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।
6. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
7. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अस्थर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उहें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अस्थर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अस्थर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- (2) पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता :-
- (A) पद का नाम :- पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
- (i) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
- (ii) वेतनमान रूपये :- 56100-177500 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ :-
- भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा विधि के नियम के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत हो।
- (3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अस्थर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-
- प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत, परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।
- (ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।
- महत्वपूर्ण नोट:-**
- (i) अस्थर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
- (4) निर्धारित आयु सीमा:-
- अस्थर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को निम्नानुसार निर्धारित है:-
- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष : छ.ग. राज्य से बाहर के निवासियों के लिए।
 - न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष : छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15/06/2010)
 - न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 38 वर्ष : छ.ग. राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 314 / सी.आर. 102 / 1(3) भोपाल, दिनांक 19/04/1973 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 599 / 158 / 2021 / 1-3 दिनांक 09 / 03 / 2021)
 - न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष : छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
- (v) न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष : सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 रायपुर दिनांक 30 / 01 / 2019 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 599 / 158 / 2021 / 1-3 दिनांक 09 / 03 / 2021)
- (vi) न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष : सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 रायपुर दिनांक 30 / 01 / 2019)
- (vii) उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
- (viii) यदि अस्थर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ix) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (x) ऐसा अस्थर्थी जो छठनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छठनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीफूट कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- (xi) ऐसे अस्थर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (xii) छत्तीसगढ़ विधावा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- (xiii) अदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रात्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतीयों के सर्वांग सभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3 / 10 / 85 / 3 / 1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xiv) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xv) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ

- 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों में की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेप्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) अरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुजाति, अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (iii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2022 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहं मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रामाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करता है।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका – 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका – 4(vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला हेतु उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका – 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका – 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाघुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका – 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता” का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के

- पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से “अनापति प्रमाण—पत्र” प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापति प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिसीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी रिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की रिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की रिति बनती है तो इसके लिए आयोग / शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) आपराधिक अभियोजन :-
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अध्याधिकारी के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो / किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा / साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा / साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश—पत्र / बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी निर्देशों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / वीक्षक / प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवरथा अनुसार भौतिक रूप से दी गई निर्देश भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर / परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अध्याधिकारी निरस्त की जा सकेगी और / या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवरित किया जाएगा—
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा

सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनरहता: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनरहता होगी :—

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस रिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लिखित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लिखित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया :— विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ‘केवल’ साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट—‘एक’ तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट—‘दो’ में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।

(11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :—

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के

स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क रूपये 30/- + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

- (12) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जनन्तिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

- (i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 100/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हाँ के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हाँ का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
- (ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
- (iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
- (v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

- (13) परीक्षा के संबंध में— (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थी आयोग को परीक्षा के प्रश्न—पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न—पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

- (14) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गेर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा—पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।
- (ii) साक्षात्कार के लिये – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 14(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

- (15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार

विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उमीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांकों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

- (17) विज्ञापन के संबंध में सपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाईट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाईट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

- (18) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**):—
इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

सत्यव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - एक
"परीक्षा योजना"

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | |
|-------------|---|----------------|
| परीक्षा | - | 300 अंक |
| साक्षात्कार | - | <u>30 अंक</u> |
| कुल | - | 330 अंक |
- (2) परीक्षा:-
- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे:-
- | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|---------|
| प्रश्नों की संख्या | 150 | 3:00 घंटे | अंक 300 |
| भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान | - | 50 प्रश्न (100 अंक) | |
| भाग 2 – संबंधित विषय | - | 100 प्रश्न (200 अंक) | |
| कुल | - | 150 प्रश्न (300 अंक) | |
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुरितका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:-
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (5) पाद्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।
- (6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनहर्व घोषित किया जाएगा।
- (7) साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अहंकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (9) साक्षात्कार के लिए आमत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (10) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□□□

परिशिष्ट-दो,
“पाठ्यक्रम”

भाग-१ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएँ।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, रथानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएँ।

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग-२ संबंधित विषय

(क)

1. पशुशरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी) घरेलू जानवरों और पक्षियों के मांसपेशियों, कंकाल, तंत्रिका, पाचन, श्वसन, हृदय एवं रक्त संचार प्रजनन और मूत्र एवं वाह्य जननांग का शरीर रचना विज्ञान तथा भ्रूण विज्ञान, प्रणालीगत भ्रूण विज्ञान, भैंस, मवेशी, भेड़, बकरी और चौजे के भ्रूण का रटेज वार अध्ययन।
2. पशुशरीर क्रिया विज्ञान (एनिमल फिजियोलॉजी) रक्त और इसके घटक और कार्डियोवार्कुलर सिस्टम, श्वसन, उत्सर्जन, न्यूरोमस्कुलर, और पाचन तंत्र, प्रजनन और दुध स्त्रवण के फिजियोलॉजी, विभिन्न प्रकार की अंतःस्थावी ग्रथियाँ की स्वास्थ्य और रोगों में भूमिका: घरेलू पशुओं और पक्षियों में वृद्धि के पैटर्न। पर्यावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान की शारीरिक वृद्धि, प्रजनन और उत्पादन में भूमिका। घरेलू पशुओं और पक्षियों में विभिन्न प्रकार के व्यवहार।
3. पशुधन उत्पादन और प्रबंधन: भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, घरेलू पशुओं और पक्षियों के विकास के विभिन्न चरणों प्रजनन, दुध उत्पादन / अंडे के उत्पादन में आहार और प्रबंधन। सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान घरेलू पशुओं का आहार और प्रबंधन। मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, खरापोश, घोड़े, पक्षी और प्रयोगशाला जानवरों की महत्वपूर्ण नरतंत्र तथा उनकी विशेषता और उपयोगिता। आधुनिक वाणिज्यिक दुध उत्पादन और कुक्कुट पालन, जल, वायु, भोजन और निवास के संबंध में पशु स्वच्छता, घरेलू पशु जैसे गर्भवती गाय सुकर और दुधारु गाय के पशु आवास के लिए आवश्यकताएँ।
4. आनुवाशिकी और पशु प्रजनन कोशिका संरचना और इसके विभाजन, डीएनए की संरचना, रिकॉम्बिनेट डीएनए प्रौद्योगिकी और इसके अनुपयोग के साथ लाभ और नुकसान, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इंफ्लुंसेड लक्षण, हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत। पालतू पशु—पक्षियों में गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण, मेंडेल के वंशानुक्रम का सिद्धांत, प्रजनन और मेटिंग के विभिन्न सिद्धांत व प्रणाली, नर और मादा के प्रजनन हेतु चयन के लिए मापदंड।
5. भेषज विज्ञान पाचन, हृदय, मूत्र, श्वसन, तंत्रिका और प्रजनन प्रणाली पर सक्रिय दवाओं का भेषज विज्ञान, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, आंतरिक और वाह्य परजीवी और कीड़े के विरुद्ध कार्य करने वाले विकित्सीय औषधियों, कीटनाशक, पौधों, धातुओं, गैर-धातुओं, जूटॉक्सिन और मायकोटॉक्सिन के कारण विषाक्तता, नियोप्लास्टिक रोगों की कीमोथेरेपी।

6. पशु पोषण

याद्य अवयव एवं चारे का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन का चयापचय। आहार विश्लेषण: चारा विश्लेषण, पालतू जानवरों और पक्षियों का रखरखाव और उत्पादन के लिए पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन के पोषण संबंधी आवश्यकताएँ, चारे का संरक्षण और भंडारण, मवेशियों के चारे एवं दाने में मौजूद एंटी-न्यूट्रीशनल और टॉक्सिक फैटर, घरेलू पशुओं और पक्षियों में रखरखाव, वृद्धि, प्रजनन और उत्पादन के लिए संतुलित आहार संगणना। पोषक तत्त्वों की कमी से होने वाले रोग।

फाई एडिटिव्स — प्रोबायोटिक्स, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, एंटीऑक्सीडेंट, ईमलसिफायर, मोल्ड-इंहीबिटर बफर आदि, विभिन्न घरेलू पशुओं के वृद्धि, गर्भावस्था, उत्पादन में प्रोटीन और वसा पोषण में नवीनतम प्रगति।

(ख)

पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य:

पशुजन्य (जूनोटिक) रोग वर्गीकरण, परिमाण, पशुजन्य रोगों की व्यापकता एवं प्रसार में पशुओं की भूमिका—पेशागत पशुजन्य (जूनोटिक) रोग। जानपदिक रोग विज्ञान—सिद्धांत, जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी पदावली की परिमाणा, रोग तथा उनकी रोकथाम के अध्ययन। OIE विनियम WTO स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय। पशुचिकित्सा विधिशास्त्र—पशुगुणवत्ता सुधार तथा पशुरोग निवारण के लिए नियम एवं विनियम—पशुजन्य एवं पशु उत्पाद जनित रोगों के निवारण हेतु राज्य एवं केंद्र के नियम।

पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी

दुध एवं दुध उत्पाद प्रौद्योगिकी: दुध रचना और इसकी गुणवत्ता: दूध का पाश्चरजेशन। दुध उत्पादों को तैयार करने के विभिन्न तरीके। हाइजीनिक मिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक दुध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण। BIS और एगामक विनिर्देश प्रसंस्करण। दुग्ध, मांस और अंडा उत्पादों का संरक्षण, पैकेजिंग और मार्केटिंग, मांस / अंडे की भौतिक और रासायनिक विशेषताएँ। मांस की मिलावट और मांस व्यापार में विनियामक प्रावधानों। दुग्ध मांस और अंडा मूल्यवर्द्धित उत्पाद।

पशुधन और मुर्गी पालन

कुक्कुट रोग मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुकर, कुत्ता, कुक्कुट के संक्रमित, असंक्रमित और चयापचय बीमारियों के कारक, लक्षण, परीक्षण, पाथोलॉजिक लिजन, रोकथाम एवं उपचार, विशिष्ट रोगों के विरुद्ध जानवरों के प्रतिरोधकता के सिद्धांत और विधि, झुंड प्रतिरक्षा, रोगमुक्त क्षेत्र एवं कीमोप्रोफायलेक्सिस।

निश्चेतना एवं दर्वनिवारक की विधि। सिजेरियन सेक्शन के तरीके, व ओवेरियोहिरेक्टोमी, रुमिनोटोमी, बधियाकरण, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, हर्निया, चोकिंग, अबोमेसल डिस्लेसमेंट। नैदानिक तकनीक, रेडियोग्राफी, लोप्रोस्कोपी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी।

पशु प्रजनन

वीर्य के घटक, वीर्य की भौतिक और रासायनिक गुण और वीर्य की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, वीर्य का मूल्यांकन और संरक्षण, घरेलू पशुओं का योवन एवं इश्ट्रस चक्र, प्रजनन और गर्भावस्था परीक्षण के विभिन्न चरणों में अन्तःस्थावी नियंत्रण विभिन्न प्रकार के बांझान के कारक, रोकथाम, परीक्षण और उपचार। कृत्रिम गर्भाधान, सिंक्रोनाइजेशन, सुपरओव्युलेशन, एम्ब्रियो ट्रान्सफर, इन्चिट्रो फर्टीलाइजेशन, क्लोनिंग, भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु स्पर्मोजोआ का वर्गीकरण, गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के पश्चात होने वाली समस्याएँ।

पशुपालन विस्तार

विस्तारी के सिद्धांत, उद्देश्य, और संकल्पन। किसानों को ग्रामीण दशाओं में शिक्षित करने की विभिन्न विधियाँ। स्थानांतरण एवं प्रतिपुष्टि प्रौद्योगिकी अंतरण में समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ। ग्रामीण विकास हेतु राज्य एवं केंद्रीय सरकार के पशुपालन कार्यक्रम।

Part-2 Related Subject

(A)

Anatomy:

Gross anatomy and histology of muscular, skeleton, nervous, digestive, respiratory, cardiovascular, reproductive and urogenital systems of domestic animals and birds; Systemic embryology; Stage wise study of embryo/foetus of cattle, buffalo, sheep, goat and chicks.

- 2. Animal Physiology:**
Blood and its constituents and functions; Physiology of cardiovascular system, respiratory, excretory, neuromuscular, digestive, reproductive systems and lactation; Role of various endocrine glands in health and diseases; patterns of growth in domestic animals and birds; Role of environmental physiology on growth , reproduction and production; Different types of behaviours in domestic animals and birds
- 3. Livestock Production and Management:**
Importance of livestock in Indian economy; Feeding and management of domestic animals and birds in various stages of growth, reproduction and lactation/egg production; Feeding and management of domestic animals during drought, flood and other natural calamities; Important breeds of cattle, buffalo, sheep, goat, pig, rabbit, equine, birds and laboratory animals with their characteristics and utility; Modern commercial dairy and poultry framings; Animal hygiene in relation to water, air, food and habitation; Animal housing requirements for specific categories of domestic animals viz. pregnant cows and sows, milking cows
- 4. Genetics and Animal Breeding:**
Cell structure and its division; Structure of DNA; Recombinant DNA technology and its application with advantages and disadvantages; Sex limited and sex influenced characters; Hardy Weinberg Law, qualitative and quantitative traits in domestic animals and birds; Mendelian theory of inheritance; Various systems of breeding and mating; Criteria for selection of males and females for breeding.
- 5. Pharmacology:**
Pharmacology of drugs active on digestive, cardiovascular, urinary, respiratory, nervous, and reproductive systems; Therapeutic agents acting against bacteria, virus, fungi, internal and external parasites and insects; Toxicity due to insecticides, plants, metals, non-metals, zootoxins and mycotoxins; Chemotherapy of neoplastic diseases;
- 6. Animal Nutrition:**
Classification of feed and fodder; Metabolism of carbohydrate, protein, fat and vitamins; Feed analysis; Nutritional requirements of water, carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamins for maintenance and production in domestic animals and birds; Conservation and storage of feeds and fodder; Anti - nutritional and toxic factors present in livestock feeds and fodder; Computation of balanced ration for maintenance, growth, reproduction and production in farm animals and birds; Nutritional deficiency diseases;
Feed additives - Probiotics, enzymes, antibiotics, hormones, antioxidants, emulsifiers, mould inhibitors, buffers etc.; Latest advances in protein and fat nutrition for growth, pregnancy and production in various domestic animals;

cattle, buffalo, sheep, goat, horse, pig, dog and poultry; Principles and methods of immunization of animals against specific diseases, herd immunity, disease free zones, and chemoprophylaxis;

Methods of anaesthesia and analgesia. Caesarian sections, ovariohysterectomy, rumenotomy, castration, fractures , dislocation . Hernia, choking and abomasal displacement. Diagnostic techniques: radiography, laparoscopy and ultrasonography.

Animal Reproduction:

Composition of semen, physical and chemical properties of semen and factors affecting quality of semen; Evaluation and preservation of semen; Puberty, estrous cycle of domestic animals, endocrine control of various phases of reproduction and pregnancy diagnosis; Etiology, preventive measures ,diagnosis and treatment of various forms of infertility. Artificial insemination, synchronization, superovulation, embryo transfer, in vitro fertilization, cloning, sexing of spermatozoa, problems during pregnancy, parturition and post partum period.

Extension:

Concepts, principles, and objectives of extension; Different Methods of extension for transfer of technologies to educate farmers under rural conditions; Problems and constraints in transfer of different technologies; Animal husbandry programmes of State and Central Government for rural upliftment .

III

- (B)**
- 1. Veterinary Public Health:**
Classification, prevalence and transmission of zoonotic and occupational zoonotic diseases; Epidemiological measures in the study of diseases and disease control; OIE regulations, WTO, sanitary and phytosanitary measures; Veterinary Jurisprudence- Rules and Regulations for improvement of animal quality and prevention of animal diseases - State and central rules for prevention of animal and animal product borne diseases;
- 2. Livestock Products Technology:**
Milk and Milk Products Technology: Milk composition and it's quality; Pasteurization of milk; Different methods for preparation of milk products ; Factors affecting hygienic milk production; Quality control of milk and milk products: BIS and Agmark specifications .Processing, preservation, packaging and marketing of dairy, meat and egg products: Physical and chemical characteristics of meat/egg; Adulteration of meat and regulatory provisions in Meat trade and Industry; Value added milk, meat and egg products.
- 3. Livestock and Poultry Diseases:**
Etiology, symptoms, diagnosis, pathological lesions, control and treatment of infectious, non-infectious and metabolic diseases of

परिशिष्ट-तीन,
“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक रस्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एकिटर रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाए। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।**
- (2). **अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन रद्दीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
- (3). **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।**
- (4). **आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।**
- (5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर JPG फाइल (अधिकतम**
- (6). **साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्लाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।**
- (7). **ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाहीं गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।**
- (8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीमांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन विलक्षण कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**
- (9). **ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अधिकारी अवधियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।**
- (10). **ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अस्थावेदन पर विचार नहीं करेगा।**
- (11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**
- (12). **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-**
- (i) **प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 30/- + जीएसटी शुल्क देय होगा।**
- (ii) **ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।**
- (iii) **प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप**

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

- (iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड / नेटबैंकिंग / कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग / हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/ साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/ साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/ साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अधिकारी को परीक्षा/ साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/ साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अधिकारी को परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/ स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/ जॉब कार्ड फोटो सहित (निआरईजीए योजना के तहत)/ सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/ पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ डाकघर द्वारा जारी)/ छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/ कालेजों द्वारा जारी)/ वीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/ संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पटटा, पंजीकृत डिज़िस/ एस.सी., एस.टी., ओ.वी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/ फोटो सहित पेशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेशन आदेश, विधवा पेशन आदेश/ शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
- (5) यदि प्रवेश पत्र/ साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/ जाच अधिकारी अधिकारी अधिकारी को परीक्षा/ साक्षात्कार में समिलित होने से वंचित कर सकेंगे।